न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
40/प्रा0पत्र/2021	02.06.2021	21.06.20211

1. गुरमीत सिंह आ0 गुरूमुख सिंह जाति जट सिक्ख निवासी ग्राम गोविन्दपुर बावड़ी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
2. देवेन्द्र सिंह आ0 गुरूमुख सिंह जाति जट सिक्ख निवासी ग्राम गोविन्दपुर बावड़ी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

......प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ताप्रार्थी:– श्री नन्द सिंह सोलंकी

अधिवक्ता अप्रार्थीगण:–

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 111,128 भू–राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये कि:–

1. प्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि ख0सं0 618/413 रकबा 1.0522 हैक्टेयर वाके ग्राम गोविन्दपुर बावड़ी पटवार हल्का बल्लोप तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0) में विस्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी सं0 2 के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि ख0सं0 498/413 रकबा 1.2141 हैक्टेयर वाके ग्राम गोविन्दपुर बावड़ी हल्का बल्लोप तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में विस्थित है।
2. यह कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि की सीमाओं से सम्बन्धित विवाद है तथा ऐसी सीमा सम्बन्धित विवादो का विनिश्चय के लिए लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 111 एवं 128 में व्यवस्था की गई है जिसके तहत सीमाओं के संबंध मेमं किसी विवाद की दशा में भूमि अभिलेख अधिकारी जहां तक सम्भव हो विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर या ऐसे नक्शे उपलब्ध ना हो तो वहां वास्तविक कब्जे के आधार पर करेगा। साथ ही में भूमि अभिलेख अधिकारी संक्षेप जांच करके यह सुनिश्चित करेगा कि कौनसा पक्षकार कब्जे का सर्वोत्तम हकदार है और तब तद्नुसार सीमा निश्चित करेगा।
3. यह कि प्रार्थीगण के द्वारा तहसीलदार साहब तालेड़ा को सीमाज्ञान बाबत आवेदन किया गया था परन्तु प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान से संतुष्ठ नही है, इसलिए प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 111,128 के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सर्वेक्षण (पत्थरगड़ी) करवाना चाहते हैं जिसके लिए अप्रार्थी को आदेशित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। प्रार्थीगण जिसका खर्चा नियमानुसार अदा करने को तैयार है।
4. यह कि भूमि की वास्तविक सर्वेक्षण के अभाव में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भूमि का उपरोक्त अनुसार सर्वेक्षण कराना अति आवश्यक है।

अत: श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित फरमावे कि प्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि ख0सं0 618/413 रकबा 1.0522 हैक्टर वाके ग्राम गोविन्दपुर बावड़ी पटवार हल्का बलोप व प्रार्थी क्रम 2 के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि ख0सं0 498/413 रकबा 1.2141 हैक्टेयर वाके ग्राम गोविन्दपुर बावड़ी पटवार हल्का बल्लोप का पत्थरगढ़ी से सर्वेक्षण किया जावे तथा सीमा चिन्ह निर्धारित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी जरिये पेरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये पेरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया। साक्ष्य में प्रार्थी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 66 ग्राम गोविन्दपुर बावड़ी संवत् 2076, नकल जमाबन्दी खाता सं0 32 ग्राम गोविन्दपुर बावड़ी संवत् 2076 की प्रतियॉं पेश।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न साक्ष्य दस्तावेज नकल जमाबन्दी खाता सं0 32 ग्राम गोविन्दपुर बावड़ी संवत् 2076 में गुरमीत सिंह आ0 गुरूमुख सिंह जाति जट सिक्ख सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा नकल जमाबन्दी खाता सं0 66 ग्राम गोविन्दपुर बावड़ी संवत् 2076 में देवेन्द्र सिंह आ0 गुरूमुख सिंह जाति जट सिक्ख सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है, जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण को नियमानुसार पत्थर गढी करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थर गढी शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण की उपस्थिति में विवादित कृषि भूमि ख0सं0 618/413 रकबा 1.0522 हैक्टेयर एवं ख0सं0 498/413 रकबा 1.2141 हैक्टेयर वाके ग्राम गोविन्दपुर बावड़ी की पत्थरगढी की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.06.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बूंदी (राज)

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

Scanned with CamScanner